6

फर्द अहकाम
अज अदालत–**न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर**
रणजीत सिंह बनाम लो.सू.अधि. जिला कलक्टर, भरतपुर
किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 01 सन् 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07.01.2026	प्रार्थी / अपीलान्ट रणजीत सिंह पुत्र नारायन सिंह निवासी ग्राम बसुआ पोस्ट बांसीखुर्द तहसील व जिला भरतपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की सूचना प्राप्त नहीं होने पर यह अपील पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। अपील के साथ संलग्न फोटो प्रति पत्रादि से जाहिर है कि प्रार्थी ने आर.टी.आई. के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर, भरतपुर अंकित किया गया है। चाही गई सूचना मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक सामान्य / आरटीआई(132) / 2025 / 7441 दिनांक 12.09.2025 से मूल प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भरतपुर को प्रेषित कर दिया गया था। अपील के साथ संलग्न पत्रादि के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अन्तिम रूप से ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बांसीखुर्द से संबंधित है। अतः चाही गई सूचना ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बांसीखुर्द के स्तर पर लम्बित है। आर.टी.आई. एक्ट के तहत लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बांसीखुर्द के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार जिला कलक्टर भरतपुर को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील वापस लौटाई जाकर अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह नियमानुसार सीधे ही सक्षम अधिकारी को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	67 5/1/26